

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा
लोक अदालत केम्प बिसलाई

उनवान

रामगोपाल पुत्र छगनलाल जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

- वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. फूलचन्द पुत्र छगनलाल जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट


मिसल नम्बर-03/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादी साक्ष्याभाव में खारिज किया जाता है।" तदनुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प बिसलाई में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 06.07.2017 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(ल.स. अ. एस.)


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद